न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/29/2025	2025/181	09.09.2025	23.12.2025

1.मनोहर पुत्र श्री छतर सिंह पौत्र सुखपाल, जाति जाट, निवासी ग्राम लीली, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राजस्थान, राज०।

––अपीलाण्ट

बनाम

1.रामप्यारी पत्नी बाबूसिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम लीली, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राजस्थान।
2.तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।

––रैस्पाडैन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला अलवर दिनांक 28.08.2025 जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 1614 दिनांक 28.08.2025 वाके ग्राम लीली तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर को स्वीकार किया गया, अपास्त किये जाने उपरोक्त निर्णय एवं खारिज किये जाने इन्तकाल इन्द्रजात व स्वीकार किये जाने अपील अपीलांट।

उपस्थितः–

01. श्री गणपत सिंह नरूका –वकील अपीलाण्ट
02. श्री ओमानन्द चौधरी –वकील रेस्पोडेन्ट 01
03. श्री दीपक मीना (राजकीय अभिभाषक) –वकील रेस्पोडेन्ट 02

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार लक्ष्मणगढ के आदेश दिनांक 28.08.2025 इंतकाल संख्या 1614 वाके ग्राम लीली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर से व्यथित होकर पेश की है। जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि आराजी हाल खसरा नंबर 56 रकबा 0.18, 57 रकबा 0.18, 58 रकबा 0.19. 82 रकबा 0.15, 83 रकबा 0.13, 84 रकबा 1.10, 85 रकबा 0. 19 है० कुल किता 07 कुल रकबा 6 बीधा 12 बिस्वा वाके ग्राम लीली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर में स्थित है जिस आराजी की बाबत एक राजस्व वाद बउनवान मुंशी व अन्य बनाम भजन व अन्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, लक्ष्मणगढ़ अलवर में धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दायर किया गया जिस वाद को बरवे राजीनामा न्यायलय द्वारा स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 16.04.2003 को पारित किया गया और जिसका अमल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में हो गया जिसके पश्चात रैस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा एक राजस्व अपील संख्या 07/2018 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के समक्ष बउनवानी रामप्यारी बनाम समुन्द्र व अन्य दायर की गई जिस अपील का निर्णय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.07.2025 को पारित किया गया कि उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट अपील स्वीकार की जाती है अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.2003 को अपास्त किया जाता है मातहत अदालत पत्रावली प्रतिप्रेषित करते हुए आदेशित किया जाता है कि आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.2003 की अनुक्रम मे हुए इन्द्राज अपील की हद तक राजस्व रिकार्ड को निरस्त करे एवं अपीलाण्ट को पक्षकार बनाते हुए सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः नए सिरे से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे " जिस निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा एक अपील संख्या 7844/2025 राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष दायर की हुई है जो विचाराधीन है, इस प्रकार रैस्पोडेण्ट संख्या 02 के द्वारा रैस्पोडेण्ट संख्या 01 के आवेदन पर इन्तकाल संख्या 1614 दिनांक 28.08.2025 को स्वीकृत किया जाकर दर्ज किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

गया और जिसका अमल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2076 मे किया गया उक्त आलोच्य निर्णय दिनांक 28.08.2025 के विरूद्ध मौजूदा अपील समस्त तथ्यो के साथ पेश की जा रही है।

मौजूदा अपील इन्तकाल स्वीकार दिनांक 28.08.2025 से बिना किसी देरी के अन्दर अवधि पेश की जा रही है। आलोच्य इन्तकाल तहसीलदार साहब लक्ष्मणगढ द्वारा स्वीकार किया गया है जिससे मौजूदा अपील न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। उक्त इन्तकाल की नकल सम्बन्धित राजस्व कार्यालय से प्राप्त कर बिना देरी के यह अपील निम्न आधारो पर श्रीमान की सेवा में पेश है। रैस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के यहाँ दायर अपील संख्या 07/2018 का निस्तारण करते हुए प्रकरण को अपीलीय न्यायालय द्वारा रिमाण्ड किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद वाद का निर्णय करने के आदेश प्रदान किया गया। लेकिन किसी भी प्रकार से रैस्पोडेण्ट संख्या 01 के पक्ष मे राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राजात करने के आदेश प्रदान नहीं किये गये लेकिन रैस्पोडेण्ट संख्या 02 द्वारा रैस्पोडेण्ट संख्या 01 के बेजा आर्थिक प्रभाव में आकर आलोच्य आदेश पारित इन्तकाल स्वीकार किया गया है जो कानूनन अवैध है। राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के यहाँ निस्तारित अपील संख्या 07/2018 में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2025 के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा एक अपील संख्या 7844/2025 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष पेश की हुई है और आलोच्य निर्णय को चैलेंज किया गया है इस प्रकार उक्त निर्णय अन्तिम नहीं रहा है जिस तथ्य पर कतई गौर नहीं करते हुए आलोच्य इन्तकाल स्वीकार कर अमल किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। रैस्पोडेण्ट संख्या 02 को यह बखूबी जानकारी थी कि विवादित इन्तकाल संख्या 1614 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे अपीलाण्ट व अन्य के दर्ज चली आ रही है लेकिन रैस्पोडेण्ट संख्या 02 द्वारा न तो सुनवाई हेतु अपीलाण्ट को कोई नोटिस प्रदान किया गया और ना ही प्रकरण को सुनवाई हेतु नियत किया गया और बाले वाले आलोच्य इन्तकाल दर्ज कराया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपील हाजा पर नियमानुसार न्यायालय शुल्क चस्पा है। अन्य वजूहात वक्त बहस जुबानी अर्ज किये जावेगे। अतः अपील श्रीमान न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रैस्पोडेण्ट संख्या 02 तहसीलदार लक्ष्मणगढ अलवर द्वारा रैस्पोडेण्ट संख्या 01 के नाम आदेश दिनांक 28.08.2025 के द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 1614 ग्राम लीली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर को अपास्त किये जाने तथा अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाये जाने के आदेश प्रदान किया जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 01 जरिये अभिभाषक उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 02 जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवादित इंतकाल खसरा न0 56,57,58,82,83,84,85 कुल किता 07 व कुल रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम लीली के संबंध में पारित इंतकाल संख्या 1614 दिनांक 28.08.2025 को निरस्त करने के लिए हमारे द्वारा अपील की गई है। एक वाद 88,188 जो कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ में विचाराधीन था जिसका निर्णय दिनांक 16.04.2023 को हुआ जिसका अमल जमाबंदी में हो चुका है। इस निर्णय की अपील रेस्पो0 संख्या 01 द्वारा राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष 07/2018 पेश की जिसमें उपखण्ड न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर अपील स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया। राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय के विरूद्ध एक अपील 7844/2025 हम अपीलांट द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष दायर की है जो अभी विचाराधीन है। नामांतकरण संख्या 1614 दिनांक 28.08.2025 बिना सुने, बिना तलबी किये, बिना सुनवाई का अवसर दिये तहसीलदार द्वारा पारित किया गया है। राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा उपखण्ड अधिकारी को आदेश दिये गये ना कि तहसीलदार को। उपखण्ड अधिकारी को सुनकर आदेश देने चाहिये थे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाए।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा वकील अपीलांट के कथनों को नकारते हुए कथन किये कि न्यायालय द्वारा सभी को पक्षकार नहीं बनाया गया। राजीनामा से डिक्री

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

कराया उसमें रामप्यारी (1/4 खातेदार) को पक्षकार नहीं बनाया। निर्णय दिनांक 16.04.2023 में रामप्यारी को 1/24 कर दिया। राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अदालत मातहत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2003 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को रिमाण्ड करते हुए आदेशित किया कि आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2003 के अनुक्रम में हुए इन्द्राज अपील की हद तक राजस्व रिकॉर्ड को निरस्त करें एवं अपीलांटा को पक्षकार बनाते हुए सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः नए सिरे से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। अपील राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.07.2025 एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के आदेश कोर्ट/राजस्व/2025/625 दिनांक 22.08.2025 की पालना में तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा नामान्तरण संख्या 1614 खोला गया है। अपील गलत प्रस्तुत की है। राइट्स धारा 88 में एसडीओ तय करेंगे। एसडीएम न्यायालय द्वारा निर्देश दिये तहसीलदार ने स्वयं इन्द्राज नहीं किया है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया। अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के आदेश दिनांक 28.08.2025, जिसके द्वारा ग्राम लीली के खसरा नंबर 56, 57, 58, 82, 83, 84, 85 (कुल 7 किता, रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा) का इंतकाल संख्या 1614 तस्दीक किया गया है, से व्यथित होकर पेश की गई है। अपीलाण्ट के मुख्य तर्क है कि मूल वाद (88, 188) में डिक्री दिनांक 16.04.2003 के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हो चुका था। राजस्व अपील अधिकारी, अलवर ने दिनांक 24.07.2025 को केवल प्रकरण रिमाण्ड किया था और अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ को पुनः सुनवाई के निर्देश दिए थे। तहसीलदार को सीधे इंतकाल दर्ज करने का कोई आदेश नहीं था। आरएए के आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील संख्या 7844/2025 लंबित है, अतः मामला अभी 'सब–जुडिस' (विचाराधीन) है। तहसीलदार ने अपीलाण्ट को बिना नोटिस दिए और बिना सुनवाई का अवसर दिए एकपक्षीय रूप से इंतकाल तस्दीक किया है। रेस्पोडेण्ट के मुख्य तर्क है कि राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अदालत मातहत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2003 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को रिमाण्ड करते हुए आदेशित किया कि आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2003 के अनुक्रम में हुए इन्द्राज अपील की हद तक राजस्व रिकॉर्ड को निरस्त करें एवं अपीलांटा को पक्षकार बनाते हुए सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः नए सिरे से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। अपील राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.07.2025 एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के आदेश कोर्ट/राजस्व/2025/625 दिनांक 22.08.2025 की पालना में तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा नामान्तरण संख्या 1614 खोला गया है। अपील गलत प्रस्तुत की है। राइट्स धारा 88 में एसडीओ तय करेंगे। एसडीएम न्यायालय द्वारा निर्देश दिये तहसीलदार ने स्वयं इन्द्राज नहीं किया है। तहसीलदार ने केवल न्यायालय RAA अलवर के निर्णय एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के आदेश 625 दिनांक 22.08.2025 की पालना में रिकॉर्ड को पूर्व स्थिति में लाने हेतु इंतकाल दर्ज किया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व अपील अधिकारी, अलवर ने दिनांक 24.07.2025 के आदेश में अदालत मातहत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2003 को अपास्त किया जाकर आदेशित किया कि आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2003 के अनुक्रम में हुए इन्द्राज अपील की हद तक राजस्व रिकॉर्ड को निरस्त करें एवं अपीलांटा को पक्षकार बनाते हुए सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः नए सिरे से सुनवाई करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने रिमाण्ड किया। तहसीलदार द्वारा दर्ज किया गया विवादित इंतकाल संख्या 1614 वस्तुतः राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय एवं उपखण्ड अधिकारी के आदेशों की अनुपालना में किया गया है ताकि राजस्व रिकॉर्ड को मूल वाद की स्थिति में लाया जा सके। अपीलाण्ट ने राजस्व मण्डल में अपील तो दायर की है, किंतु इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई 'स्थगन आदेश' प्रस्तुत नहीं किया गया है जो न्यायालय RAA अलवर के आदेश के क्रियान्वयन को रोकता हो। चूंकि राजस्व अपील अधिकारी अलवर ने स्पष्ट आदेश दिया था कि निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.2003 की अनुक्रम में हुए इन्द्राज अपील की हद तक निरस्त करें, अतः तहसीलदार द्वारा किया गया अमल विधिक प्रक्रिया का हिस्सा है। स्वामित्व का अंतिम निर्णय अब रिमाण्ड के बाद उपखण्ड अधिकारी न्यायालय द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

गुण–दोष के आधार पर किया जाना है। चूंकि मूल डिक्री अपास्त हो चुकी है और अन्य किसी न्यायालय का कोई स्थगन प्रभावी हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नहीं है, अतः तहसीलदार द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 24.07.2025 व उपखण्ड अधिकारी के आदेश 625 दिनांक 22.08.2025 की पालना में पारित किया गया इंतकाल संख्या 1614 दिनांक 28.08.2025 प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत होता है। क्यूंकि तहसीलदार द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर एवं उपखण्ड अधिकारी के आदेशों की पालना में इंतकाल 1614 दिनांक 28.08.2025 पारित किया गया इसलिए पारित इंतकाल में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के काररण खारिज योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा पारित इंतकाल संख्या 1614 दिनांक 28.08.2025 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)